

30 SEP 2019

Planning Dept., Panch Area

Inward No. 547

DL 3/10/19

Panch Area, Parasika

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल

E-mail ID :: dfotwchwara@mp.gov.in Fax (07162)246996



क्रमांक/मा.वि./2019/
प्रति,

3656

छिंदवाड़ा दिनांक

28/9/19

मुख्य महाप्रबंधक

वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड

पेंच क्षेत्र परासिया

विषय :-

Diversion of 385.841 ha Forest land (including 340.148 ha forest land and 45.693 ha of Revenue Forest Land) in favour of M/s. Western Coalfields Limited for Dhankasa Under Ground Coal Mining Project and construction of road in West Chhindwara District under the Chhindwara Forest Division, Madhya Pradesh.

संदर्भ :-

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/8-47/2017 -एफ.सी. दिनांक 02.01.2018 एवं मुख्य वन संरक्षक छिंदवाड़ा वन वृत्त छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक 712 दिनांक 18.02.2019 एवं आपका पत्र क्रमांक 177 दिनांक 11.01.2019 एवं 178 दिनांक 11.01.2019 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 703 दिनांक 25.02.19 एवं 1129 दिनांक 20.03.2019

—00—

विषयांकित पत्र में लेख है कि, पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल अंतर्गत वनपरिक्षेत्र परासिया के आरक्षित वनखंड 41 नेहरिया के कक्ष क्रमांक 736,737,738,739,740 रकबा 340.148 हेक्टेयर वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि (छोटे-बड़े झाड़ का जंगल) ग्राम पायली में खसरा क. 154,195/1,195/3,216,217,219,220,223,224,228,232 रकबा 8.567 हे. एवं सैजवारा में खसरा क. 394,398,401,405,407,421,437 रकबा 10.810 हे. एवं बांकी में खसरा क. 53/1,55,56 रकबा 2.992 हे. एवं नेहरिया में खसरा क. 4,46/1क, 68 /1,72/1 क, 81/ 1क,83,84/ 1क,113/1 , 117 , 120/1 ,120/5,120/7,122/1,130/1,143/1,148,149/1,237/1,353/1,354 रकबा 23.31 कुल राजस्व भूमि रकबा 45.694 हेक्टेयर कुल प्रस्तावित रकबा 385.481 हेक्टेयर (धनकशा कोयला खदान) भूमिगत कोयला उत्खनन हेतु मेसर्स वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड पेंच क्षेत्र परासिया जिला छिंदवाड़ा को भारत शासन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक एफ 8 - 45 / 2017 - एफ सी दिनांक 02.01.2018 से प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक 1 से 36 तक का पालन आवेदक विभाग से कराया जाना है।

स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक 7 एवं 16 वनपरिक्षेत्राधिकारी परासिया द्वारा वृक्षारोपण योजना तैयार कर प्रस्तुत किया गया है।

भारत शासन द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक 7 के पालन हेतु "उपयोगकर्ता एजेंसी भूमिगत खदान के दौरान किसी भी नाला/नदी/छोटी धारा/ बंध को नुकसान न पहुँचाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा के उपाय करेगी और नदी/नाला के दोनों किनारों में कम से कम तीन पंक्तियों के साथ 50 मीटर की हरी बेल्ट के साथ पौधा रोपित किया जावेगा " शर्त के पालन में माईनिंग लीज के सरफेस एरिया में आने वाले वन कक्ष क्रमांक आर. एफ. 739 , 736 740 में 50 मी. की चौड़ी पट्टी में नाला, नदी किनारों पर वृक्षारोपण योजना तैयार की गई है।

इसी प्रकार शर्त क्रमांक 16 के पालन हेतु "माईनिंग लीज के 7.5 मी0 परिधि में वनभूमि/राजस्व वन भूमि में ऐसा वृक्षारोपण क्षेत्र जिसका वन घनत्व 0.2 से 0.4 से कम घनत्व का हो में वृक्षारोपण योजना तैयार किया जाना है। इस हेतु वनपरिक्षेत्र परासिया द्वारा वन कक्ष क्रमांक आर.एफ.736 एवं 738 में वृक्षारोपण योजना प्रस्तावित किया गया है। लीज एरिया के डेढ़ गुना रकबा 26.00 हे. क्षेत्र वन कक्ष क्रमांक 742 में वृक्षारोपण योजना तैयार की गई है।

Dfo_West/Shoaib//cover 2019

Shoaib

Gm (opr)
APO
No (Env.)

30/9/19

अधिरूपित की गई शर्तानुसार तैयार की गई वृक्षारोपण योजनाओं में मुख्य वनसंरक्षक छिन्दवाड़ा वन वृत्त छिन्दवाड़ा द्वारा प्राक्कलन शर्तवार, कक्षवार, राशिवार तकनीकी स्वीकृति जारी की गई है का विवरण निम्नानुसार है :-

क.	अधिरूपित शर्त क.	प्रस्तावित कक्ष क.	प्रस्तावित रकबा (हे०में)	वृक्षारोपण की राशि	पर्यवेक्षण शुल्क की राशि	जारी की गई तकनीकी स्वीकृति अनुसार राशि	तकनीकी स्वीकृति का कमांक दिनांक
1	अधिरूपित शर्त क. 7 के पालन हेतु 50 मी. की चौड़ी पट्टी में नाला/नदी किनारे वृक्षारोपण योजना	आर.एफ 739	1.25	2352940	235294	2588234	238 दि. 09.09.19
		आर.एफ 736	1.500	2766591	276659	3043250	238 दि. 09.09.19
		आर.एफ 740	2.500	3146306	314631	3460936	238 दि. 09.09.19
		आर.एफ 739	1.00	2218694	221870	2440565	238 दि. 09.09.19
2	अधिरूपित शर्त कमांक 16 के पालन हेतु माईनिंग लीज के 7.5 मी० परिधि में वनभूमि/राजस्व वन भूमि में ऐसा वृक्षारोपण क्षेत्र जिसका वन घनत्व 0.2 से 0.4 से कम घनत्व का हो में वृक्षारोपण योजना	736 एवं 738	5.535	41591206	4159121	45750327	239 दि. 09.09.19
3	शर्त कमांक 16 के पालन हेतु लीज एरिया के डेढ़ गुने में वृक्षारोपण योजना	आर.एफ. 740	26.00	10331914	1033191	11365105	240 दि. 09.09.19
योग:-			37.79	62407651	6240766	68648417	

व्यपवर्तित वनभूमि/राजस्व वनभूमि रकबा 385.148 हे० क्षेत्र में निर्धारण की गई शर्त कमांक 7 एवं 16 के पालन हेतु वृक्षारोपण की कुल राशि रु. 6,86,48,417.00 का जमा किया जाना है।

निर्धारण की गई वृक्षारोपण की कुल राशि रु. 6,86,48,417.00 में से रोपण की राशि रु. 6,24,07,651.00 ई-पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन कैम्पा मद के खाता में जमा करें, एवं शेष पर्यवेक्षण शुल्क की राशि रु. 62,40,766.00 वनमंडलाधिकारी पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल छिन्दवाड़ा के नाम से बैंक डी.डी. या चैक के माध्यम से जमा करें। कैम्पा मद ई-पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन जमा राशि रु. 6,24,07,651.00 का 72 घंटे बाद बैंक स्टेटमेंट, यू.टी. आर. नंबर की छायाप्रति प्रस्तुत करें।

स्वीकृति में अधिरूपित शर्त कमांक 9 के पालन हेतु गैर वनभूमि कलेक्टर छिन्दवाड़ा से प्राप्त कर वन विभाग के नाम से हस्तांतरण आदेश जारी कराकर भूमि उपलब्ध कराये ताकि प्राप्त गैर वनभूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार कर राशि की मांग पृथक से की जा सके।

पृष्ठा.क्रमांक/मा.चि/2019/

प्रतिलिपि :- (1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कक्ष-भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

(2) मुख्य वन संरक्षक, छिन्दवाड़ा वनवृत्त, छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।